सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी - क्या करें

- **हानि सीमा:**

कृपया नोट करें कि हानि सीमा वह सीमा है जहाँ तक ईसीजीसी पॉलिसी के अंतर्गत दावे पर विचार करेगा।

सुनिश्चित करें कि पॉलिसी के अंतर्गत की हानि सीमा आपके ग्राहक/बैंक के बकाया राशि के समकक्ष हैं। ग्राहक/बैंक की पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत कारोबार मात्रा यदि बढ़ने की आकांक्षा हों और वही परियोजना के लिए अतिरिक्त संविदा होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करें और हानि सीमा बढ़ाएँ।

- **पॉलिसी की वैधता:**

सुनिश्चित करें कि पॉलिसी दी गई सेवाओं को संरक्षित करने के लिए वैध है।

- **अग्रिम प्रीमियम:**

आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बीमा अधिनियम 1938 की शर्तों के अनुसार बीमाकृत जोखिम के प्रारंभ होने से पूर्व बीमाकर्ता को प्रीमियम प्राप्त होना चाहिए। ईसीजीसी अब इन प्रावधानों से बाध्य है कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा की वैधता के दौरान हर समय आप निम्नलिखित का अनुपालन करें :

हानि सीमा पर तिमाही/वार्षिक आधार पर अग्रिम प्रीमियम भेजें।

- **प्रगति रिपोर्ट:**

प्रत्येक माह में ग्राहक को दी गई सॉफ्टवेअर परियोजना सेवाओं की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(क) माह के दौरान किए गए काम का रिपोर्ट रखना।

(ख) माह के शुरुआत में वर्धित बकाया बीजकों का किया गया भुगतान

(ग) माह के दौरान वर्धित बीजक

(घ) माह के दौरान प्राप्त भुगतान

(च) माह के अंत में बकाया भुगतान

(छ) काम जिसका बीजक बनना बाकी हैं और बीजक जो स्वीकारने शेष हैं।

- **भुगतान शर्तों में विस्तार:**

सुनिश्चित करें कि खरीदार को भुगतान शर्तों में विस्तार देने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें, यदि ऐसे विस्तार द्वारा कुल भुगतान अवधि, पोतलदान की तारीख से 180 दिनों के भीतर ना रहें।

- **हानि कम करना:**

संविदा/करार के अनुसार दी गई सेवाओं के अंश/वर्धित बीजकों के लिए यह सुनिश्चित करें कि किसी पोतलदान का भुगतान न किए जाने की स्थिति में हानि को रोकने/कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।भुगतान करने के लिए ग्राहक को मनाएँ। ऋण वसूलीकर्ता एजेंट, खरीदार के देश में चेंबर ऑफ कॉमर्स, विदेशों में भारतीय दूतावास आदि की सहायता प्राप्त करें। खरीदार के देश में स्थित ऋण वसूली एजेंटों से सूची प्राप्त करने के लिए ईसीजीसी से संपर्क किया जा सकता है। खरीदार के देश के नोटरी द्वारा बिलों को नोट व प्रसाक्ष्यित करवाएँ।

दावा दाखिल करना:

हानि अभिनिश्चित होने के उपरांत देय तारीख से किसी भी समय परंतु एक वर्ष के भीतर अथवा संविदा के समाप्ति के तारीख से एक वर्ष के भीतर दोनों मे से जो भी उस समय पहले हों दावा दाखिल करें। यदि दावा दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की जरूरत है तो दावा दाखिल करने में समय सीमा के विशिष्ट विस्तार हेतु इसका कारण बताते हुए ईसीजीसी से संपर्क करें।

वसूली कार्रवाई:

विशेषज्ञ ऋण वसूली एजेंट/ वकील के द्वारा अथवा सीधे सभी वसूली के लिए कदम उठाएँ। कृपया खरीदार पर वसूली अधिकार बनाए रखें। समय पर की गई कार्रवाई से वसूली की संभावना बढ़ जाती है। यदि भुगतान न किए जाने का कारण, खरीदार का दिवालियापन है, कृपया आवश्यक जानकारी व दस्तावेजों के साथ सरकारी रिसीवर के पास अपना दावा दाखिल करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दिवालिया की परिसंपत्ति पर दावा रिसीवर द्वारा स्वीकार किया गया है। ईसीजीसी के साथ वसूली की हिस्सेदारी उसी अनुपात में करना जिसमें ईसीजीसी द्वारा दावे का निपटान किया गया था।

सॉफ्टवेअर परियोजना पॉलिसी - क्या न करें

- पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित तारीख के भीतर तिमाही प्रीमियम की किस्तें भेजना न भूलें।
- विदेशी खरीदार/बैंक पर बढ़ी हुई हानि सीमा प्राप्त करना न भूलें।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना न भूलें।
- देय तिथि में 180 दिनों से अधिक विस्तार प्राप्त करने के लिए ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें।
- ग्राहक अतिदेय बीजकों का भुगतान नहीं करता तब तक आगे कोई संविदा अथवा सेवा प्रदान न करें।
- भुगतान प्राप्त न होने पर खरीदार के देश में बिल को नोट व प्रसाक्ष्यित करना न भूलें जहाँ ऐसा संभव न हों।
- ईसीजीसी द्वारा सूचित किए जाने पर वसूली हेतु ऋण एजेंट की नियुक्ति करना न भूलें।
- दावा फार्म के साथ ईसीजीसी को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करना न भूलें। यदि कोई संदेह हो, स्पष्टिकरण के लिए ईसीजीसी से बेहिचक संपर्क करें।
- यदि आवश्यकता हों तो लेखा पुस्तकें परीक्षण के लिए ईसीजीसी को सहयोग देना न भूलें।
- अनुमत समय के भीतर दावा दाखल करना न भूलें।
- खरीदार के विरुद्ध वसूली कार्रवाई करना व वसूली होने पर निगम के साथ वसूली की हिस्सेदारी करना न भूलें।

- **LOSS LIMIT:**

Please note the loss limit is the limit up to which ECGC would consider claim under the policy.

Ensure that the Loss L

- **VALIDITY OF POLICY:**

- **ADVANCE PREMIUM:**

- **PROGRESS REPORT**

a.

b.

c.

d.

e.

F.

- **EXTENSION IN PAYMENT TERMS:**

- **LOSS MINIMISATION**